

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम की तारीख
में जारी हुए

कोर्ट बिफारे वही छोड़ डरिह विप्रा
जवा का सेकी हिपरीमे पकल तिणदि
जवा व हाप का डापरोफन वही विप्रा
जोग पावजवा डर. डरुह जमके
पका पकील बापी पर वकील डमपक
वा हुवाजपा

पुखाम अमपका हुन के
बाद हुम डर बिक्कपिप पडुप हीपि
अकुरिक त्याप के सिदानो का डमका
मे रखत डर अमके का वकील वापि
हीका विप्रा डरव ही वादपक के
पेरा नं ०७ मे वाही कपी राहल बापि
दिकका वही डमका वी डमका ही पर
डिही डमका ही डमका हुन! डर रडि
डमपर डमका मे डमका डमका बापि
वाकील वकील वापि डमका डमका ही

l.

मूल वाद में डिक्री फाईनल
(आवश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी जिला झालावाड(राज)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी उप खण्ड अधिकारी भवानीमण्डी
उनवान

1- मधुबाला पुत्री मागीलाल पत्नी राजेन्द्रप्रसाद
जति माली निवासी गणेशपुरा गरनावद हाल अकतासा

1- शान्तिबाई पत्री मागीलाल पत्नी शिवप्रसाद माली
निवासी गणेशपुरा गरनावद हाल अकतासा
2- दिनेशकुमार आ0 मागीलाल माली निवासी गणेशपुरा गरनावद
3- सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड

दावा बाबत 88-209 आरटीएव
मुकदमा नम्बर 170/दावा/2019
निर्णय दिनाक 03.10.2019

वादी की ओर से वादी श्री मुकेशप्रजापति स्वयं व प्रतिवादी की ओर श्री
मो0 फिरोज खान की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 03.10.2019 को राजेश डागा
उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया
जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वाद वादनी मुताबिक राजीनाम के खाता संख्या 461 किता 4 रकबा 20.07
बीघा सम्वत 2070 से 2073 वाके ग्राम गरनावद तहसील पचपहाड में वादीनी का नाम द्रोपती के
स्थान पर मधुबाला शुद्ध किये जाने तथा उक्त वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार
टीनेन्ट घोषित किया जाता है ।

बसब्त मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज दिनाक 03 माह 10 सन् 2019
को जारी की गई ।

(राजेश डागा)

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी
पचपहाड

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
------	-----------

- रूपये
1. वद पत्र के लिए स्टाम्प
 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
 3. प्रदर्शी के लिए स्टाम्प
 4. रूपये पर प्लीडर की फीस
 5. सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
 6. कमिश्नर की फीस
 7. आदेशिका की तामिल जोड

- प्रतिवादी
- शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
 - अर्जी के लिए स्टाम्प
 - प्लीडर की फीस
 - साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
 - आदेशिका की तामिल
 - कमिश्नर की फीस